

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 1980/वैशाख 12, 1902

No. 175] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1980/VAISAKHA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 1980

का. मा. 292(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि-
नियम, 1954 (1954 क 37) की धारा 2 के खण्ड (4) के अनुसरण में, डा.
(श्रीमती) एस. एम. वाछा को निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पुणे के
सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करती है और भारत
सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधि-

सूचना संख्या का. आ. 81, तारीख 8 फरवरी, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 2 के सामने, स्तम्भ (1) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“डा. (श्रीमती) एस. एम. वाछा” ।

[संख्या सी. 15014/1/80-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) पी. एफ. ए.]

टी. वी. अन्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 1980

S.O. 292(E).—In pursuance of clause (iv) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints Dr. (Mrs.) S. M. Vachha, to perform all or any of the duties of the Director, Central Food Laboratory, Pune and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 81 dated the 8th February 1978, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against serial No. 2, for the entry in column (1), the following entry shall be substituted, namely :—

“Dr. (Mrs.) S. M. Vachha”.

[No. P. 15014/1/80-PH(F&N)PFA]

T. V. ANTONY, Jt. Secy